



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 738]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 24, 2016/कार्तिक 2, 1938

No. 738]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 24, 2016/KARTIKA 2, 1938

उपराष्ट्रपति सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2016

सा.का.नि. 999(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में शुक्रवार, 2 मई 2014 को प्रकाशित अधिसूचना के संदर्भ में और संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उन्हें इसके लिए समर्थ बनाने वाली अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2014 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (i) इनका संक्षिप्त नाम उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) संशोधन नियम, 2016 है।

(ii) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. उपराष्ट्रपति सचिवालय (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2014 में निम्नलिखित संशोधन किए गए हैं: -

(i) अनुसूची-III - वेतनमान, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान शब्दों और इस शीर्षक के अंतर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के रूप में उसमें की गई प्रविष्टियों को 'वेतन मैट्रिक्स में लेवल' और 'वेतन मैट्रिक्स में लेवल' शीर्षक के अंतर्गत संगत शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

अनुसूची-III

[नियम 3 देखें]

सचिवालय में वेतन मैट्रिक्स लेवल से जुड़े विभिन्न पद

क्र.सं.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
	वर्ग 'ए'	
1.	भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव	लेवल-14

क्र.सं.	पदनाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
	वर्ग 'ए'	
2.	निदेशक	लेवल-13
3.	भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	लेवल-12
4.	भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	लेवल-12
5.	अवर सचिव	लेवल-11
	वर्ग 'बी' राजपत्रित	
6.	भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	लेवल-10
7.	अनुभाग अधिकारी	लेवल-8 (लेवल-10 में 4 वर्ष की स्थायी सेवा पूर्ण करने के पश्चात्)
	वर्ग 'बी' अराजपत्रित	
8.	सहायक	लेवल-7
9.	सचिव के निजी सहायक	लेवल-6
10.	कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	लेवल-6
11.	स्वागत अधिकारी	लेवल-6
	वर्ग 'सी'	
12.	वरिष्ठ लिपिक	लेवल-4
13.	दूरभाष प्रचालक	लेवल-3
14.	कनिष्ठ लिपिक	लेवल-2
15.	स्टाफ कार चालक-(विशेष ग्रेड)	लेवल-6
16.	स्टाफ कार चालक-(ग्रेड-I)	लेवल-5
17.	स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	लेवल-4
18.	स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड)	लेवल-2
19.	डिस्पैच राइडर	लेवल-2
20.	मल्टी टास्किंग स्टाफ	लेवल-1
	घरेलू कर्मचारी	
21.	मुख्य रसोइया	लेवल-5
22.	हेड रसोइया	लेवल-4
23.	व्यक्तिगत परिचर	लेवल-2
24.	बियरर	लेवल-1
25.	मसालची	लेवल-1

(ii) अनुसूची- V - कॉलम (4) के शीर्षक के रूप में वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतन मान शब्दों और पदवार भर्ती नियम की 13 कॉलम आधारित अनुसूची के कॉलम (4) और (11) के अंतर्गत वेतन बैंड और ग्रेड वेतन के रूप में की गई प्रविष्टियों को 'वेतन मैट्रिक्स में लेवल' और 'वेतन मैट्रिक्स में लेवल' शीर्षक के अंतर्गत संगत शब्दों से प्रतिस्थापित किया जाएगा: -

अनुसूची- V
[नियम 5 देखें]

पद का नाम	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या समावेशन द्वारा नियुक्ति के मामले में, वे लेवल जिनसे पदोन्नति या प्रतिनियुक्त या समावेशन किया जाना है
(1)	(4)	(11)
सचिव	लेवल-14	-
भारत के उपराष्ट्रपति के निजी सचिव	लेवल-12	-
भारत के उपराष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी	लेवल-12	-
निदेशक	लेवल-13	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन '6600/-रुपये का ग्रेड वेतन' शब्द 'लेवल 11' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा। पैरा 'प्रतिनियुक्ति' के उप-पैरा (i) और (ii) के अधीन '8700/-रुपये ग्रेड वेतन के साथ वेतन-बैंड-4 (37400-67000 रुपये)' शब्द और '7600/-रुपये ग्रेड वेतन के साथ वेतन-बैंड-3 (15600-39100 रुपये)' शब्द क्रमशः 'लेवल 13' और 'लेवल 12' शब्दों से प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
अवर सचिव	लेवल-11	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड' शब्द 'लेवल' से प्रतिस्थापित किया जायेगा। पैरा 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन शब्द 'वेतन बैंड ग्रेड वेतन 4800/-रुपये के साथ' शब्द 'लेवल-8' से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
भारत के उपराष्ट्रपति के सहायक निजी सचिव	लेवल-10	शब्द 'ग्रेड वेतन 4800/-रुपये' 'लेवल-8' शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा।
अनुभाग अधिकारी	लेवल-8	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 4600/-रुपये' 'लेवल-7' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा। पैरा 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 4600/-रुपये' 'लेवल-7' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।

सहायक	लेवल-7	पैरा 'पदोन्नति' या 'प्रतिनियुक्ति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 4200/-रुपये' 'लेवल-6' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
कनिष्ठ हिंदी अनुवादक	लेवल-6	-
सचिव के निजी सहायक	लेवल-6	-
स्वागत अधिकारी	लेवल-6	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 4200/-रुपये' 'लेवल-4' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
वरिष्ठ लिपिक	लेवल-4	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 2000/-रुपये' 'लेवल-3' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
दूरभाष प्रचालक	लेवल-3	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 1900/-रुपये' 'लेवल-2' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
कनिष्ठ लिपिक	लेवल-2	-
मुख्य रसोइया	लेवल-5	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 2400/-रुपये' 'लेवल-4' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
हेड रसोइया	लेवल-4	नोट 1 के अधीन शब्द 'ग्रेड' 'लेवल' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
स्टाफ कार चालक-(विशेष ग्रेड)	लेवल-6	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 2800/-रुपये' 'लेवल-5' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
स्टाफ कार चालक-(ग्रेड-I)	लेवल-5	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 2400/-रुपये' 'लेवल-4' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II)	लेवल-4	पैरा 'पदोन्नति' के अधीन शब्द 'ग्रेड वेतन 1900/-रुपये' 'लेवल-2' शब्द से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
स्टाफ कार-चालक (साधारण ग्रेड)	लेवल-2	-
डिस्पैच राइडर	लेवल-2	-
व्यक्तिगत परिचर	लेवल-2	-
मल्टी टास्किंग स्टाफ	लेवल-1	-

बियरर	लेवल-1	-
मसालची	लेवल-1	-

[फा. सं. वीपीएस-07/07/2016/प्रशा.]

स्वशपवन सिंह, भारत के उपराष्ट्रपति के सचिव

VICE-PRESIDENT'S SECRETARIAT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2016

G.S.R. 999(E).— With reference to notification published in the Gazette of India – Extraordinary, Part-II, Section-3 and sub-section (i) on Friday, May 2, 2014 and in exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and all other powers enabling him in the behalf, the President hereby makes the following rules further to amend the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, namely:-

- 1. Short title and commencement** – (i) These rules may be called the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Amendment Rules, 2016.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Vice-President's Secretariat (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2014, the following amendments have been made:-
(i) **Schedule-III** - The words Scale of pay, Pay Band and Grade Pay or Pay Scale and entries made as Pay Band and Grade Pay therein under the heading shall be substituted with words 'Level in the Pay Matrix' and with corresponding 'Level' under the heading 'Level in the Pay Matrix':-

SCHEDULE-III
[See rule 3]**Level in the Pay Matrix attached to the various posts in the Secretariat.**

<i>Sl.No.</i>	<i>Name of post</i>	<i>Level in the Pay Matrix</i>
Group-A		
1.	Secretary to Vice-President of India	Level-14
2.	Director	Level-13
3.	Officer on Special Duty to Vice-President of India	Level-12
4.	Private Secretary to Vice-President of India	Level-12
5.	Under Secretary	Level-11
Group 'B' Gazetted		
6.	Assistant Private Secretary to Vice-President of India	Level-10
7.	Section Officer	Level-8 (After completion of 4 years Service in Level-10)

Group 'B' Non-Gazetted

8. Assistant	Level-7
9. Personal Assistant to Secretary	Level-6
10. Jr. Hindi Translator	Level-6
11. Reception Officer	Level-6

Group 'C'

12. Upper Division Clerk	Level-4
13. Telephone Operator	Level-3
14. Lower Division Clerk	Level-2
15. Staff-car-Driver (Special Grade)	Level-6
16. Staff-car-Driver (Grade-I)	Level-5
17. Staff-car-Driver (Grade-II)	Level-4
18. Staff-car-Driver (Ordinary Grade)	Level-2
19. Despatch Rider	Level-2
20. Multi-Tasking-Staff	Level-1

HOUSEHOLD STAFF

21. Chief Cook	Level-5
22. Head Cook	Level-4
23. Personal Attendant	Level-2
24. Bearer	Level-1
25. Masalchi	Level-1

(ii) **Schedule-V** – The words Pay Band and Grade Pay or Pay Scale as heading of column (4) and entries made as Pay Band and Grade Pay therein under the column (4) and (11) of 13 column based schedule of post-wised Recruitment Rules, shall be substituted with words 'Level in the Pay Matrix' and with corresponding 'Level in the Pay Matrix':-

SCHEDULE-V

[See rule 5]

Name of the post	Level in the Pay Matrix	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, levels from which promotion or deputation or absorption to be made
(1)	(4)	(11)
Secretary	Level-14	-
Private Secretary to the Vice President of India	Level-12	-

Name of the post	Level in the Pay Matrix	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, levels from which promotion or deputation or absorption to be made
(1)	(4)	(11)
Officer of Special Duty to the Vice President of India	Level-12	-
Director	Level-13	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs. 6600/-' shall be replaced with 'Level-11'. Under Sub-Para (i) & (ii) of Para 'Deputation', the words 'PB-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8700/-' and words 'PB-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.7600/-' shall be replaced with 'Level-13' and 'Level-12' respectively.
Under Secretary	Level-11	Under Para 'Promotion, the word 'grade' shall be replaced with 'Level'. Under Para 'Deputation', the words 'Pay Band with Grade Pay of Rs.4800' shall be replaced with 'Level-8'.
Assistant Private Secretary to Vice President of India	Level-10	The words 'Grade Pay of Rs.4800' shall be replaced with 'Level-8'.
Section Officer	Level-8	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.4600' shall replaced with 'Level-7'. Under Para 'Deputation', the words 'Grade Pay of Rs.4600' shall replaced with 'Level-7'.
Assistant	Level-7	Under Para 'Promotion or Deputation', the words 'Grade Pay of Rs.4200' shall be replaced with 'Level-6'.
Jr. Hindi Translator	Level-6	-
P.A. to Secretary	Level-6	-
Reception Officer	Level-6	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.4200' shall be replaced with 'Level-4'.
Upper Division Clerk	Level-4	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.2000' shall be replaced with 'Level-3'.
Telephone Operator	Level-3	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.1900' shall be replaced with 'Level-2'.
Lower Division Clerk	Level-2	-
Chief Cook	Level-5	Under Para 'Promotion or Deputation', the words 'Grade Pay of Rs.2400' shall be replaced with 'Level-4'.
Head Cook	Level-4	Under Note 1, the word 'Grade' shall be replaced with 'Level'.
Staff-Car-Driver 'Special Grade'	Level-6	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.2800' shall be replaced with 'Level-5'.

Name of the post	Level in the Pay Matrix	In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, levels from which promotion or deputation or absorption to be made
(1)	(4)	(11)
Staff-Car-Driver 'Grade-I'	Level-5	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.2400' shall be replaced with 'Level-4'.
Staff-Car-Driver 'Grade-II'	Level-4	Under Para 'Promotion', the words 'Grade Pay of Rs.1900' shall be replaced with 'Level-2'.
Staff-Car-Driver 'Ordinary Grade'	Level-2	-
Dispatch Rider	Level-2	-
Personal Attendant	Level-2	-
Multi-Tasking Staff	Level-1	-
Bearer	Level-1	-
Masalchi	Level-1	-

[F. No. VPS-07/07/2016/Admn.]

SWASHPAWAN SINGH, Secy. to the Vice President of India